विवरणी

12/9/2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मसतराम सिंह वल्द देवगन सिंह .... को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पोता अलसु सिंह ....द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम तलमंगा, खाता सं० 50 प्लॉट सं० 02 रकबा 5.38 वर्ष 2013-14 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अलसु सिंह अपना लिखित बयान दिया ....है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं .... है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार .... दर्ज नहीं .... है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम– तलमंगा .... खाता नं० 67 .... प्लॉट नं० 3141 एवं 3278 .... सर्वे खतियान में किस्म .... जंगल झाड़ी .... दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है एवं नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मसतराम सिंह वल्द देवगन सिंह ग्राम तलमंगा .... के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
तलमंगा	50	67	3141	2.06 ए०
	50	67	3278	3.32 "
				5.38 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद् किया जाता है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

(हस्ताक्षर) 12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner